



भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र
ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON LITCHI
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय)



(Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Agriculture)

मुशहरी प्रक्षेत्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर-842002 (बिहार) भारत

Mushahari Farm, Mushahari, Muzaffarpur - 842002 (Bihar) India

Ph: 0621-2281160, 2281162

Fax: 0621-2281162

अल्प-कालीन निविदा सूचना संख्या-01 / 2017-18

इस केन्द्र में (सरसों मुख्य फसल-2.1 हेक्टेयर और सरसों अन्तर्वर्ती-5.7 हेक्टेयर) फसल की नीलामी हेतु वर्ष 2018 के लिए इच्छुक खरीददारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इसके लिए अग्रधन राशि निविदा पत्र के अन्य शर्तों के साथ उल्लेखित है, जिसे 500 रूपये (पाँच सौ रूपये)(वापसी योग्य नहीं) प्रति निविदा पत्र की दर से कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी संस्थान के वेवसाइट www.nrclitchi.org पर उपलब्ध है।

प्रशासनिक अधिकारी
रा. ली. अनुसंधान केन्द्र
मुजफ्फरपुर



भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र

ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON LITCHI

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय)

(Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Agriculture)

मुशहरी प्रक्षेत्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर-842002 (बिहार) भारत

Mushahari Farm, Mushahari, Muzaffarpur - 842002 (Bihar) India

Ph: 0621-2281160, 2281162

Fax: 0621-2281162



अल्पकालीन-निविदा सूचना संख्या-01/2017-18

विषय:- भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, के मुशहरी प्रक्षेत्र के सरसों की वर्ष 2018, की नीलामी।

निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-110001 की तरफ से ग्रीष्मकालीन 2018 के सरसों की पौधो (मुख्य फसल-2.1 हेक्टेयर और सरसों अन्तरवर्ती-5.7 हेक्टेयर) की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित करते है। निविदा हेतु विवरण निम्न प्रकार है।

प्रक्षेत्र	सरसों की पौधों का विवरण	अग्रधन राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
	सरसों के पौधे लगभग मुख्य फसल-2.1 और अन्तरवर्ती-5.7 हेक्टेयर	5000 नकद	05 फरवरी 2018 साये 4:00 बजे	06 फरवरी 2018 प्रातः11 बजे

नोट: सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि को सुरक्षा राशि में परिवर्तित कर दिया जायेगा जो कि कार्य सफलतापूर्वक सम्पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा। अन्य निविदाकर्ता की अग्रधन राशि को प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्षेत्र उत्पाद को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/संगठन निर्धारित निविदा प्रारूप में अपना निविदा क्रमशः इस कार्यालय को जमा कर सकते है।

निविदा हेतु नियम एवं शर्त:-

1. निविदा पत्र खरीदने के उपरान्त नीलामी हेतु प्रक्षेत्र उत्पादों का निरीक्षण प्रातः 11.00 से सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में प्रक्षेत्र प्रभारी से मिलकर किया जा सकता है।
2. निविदा पत्र, इस कार्यालय से **पाँच सौ रुपये मात्र नकद** जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। या इस केन्द्र वेबसाइट से डाउनलोड के उपरान्त 500.00 के डी.डी. (अहस्तारित) निदेशक भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र मुजफ्फरपुर के देय लगाना अनिवार्य होगा। यह राशि किसी भी स्थिति में वापसी नहीं होगी।
3. निविदाकर्ता निविदा का मूल्य का उल्लेख करेंगे एवं इसे संलग्न फार्म-1, जिसे बयाना राशि रसीद के साथ एवं नियम एवं शर्तों की प्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने के उपरान्त इस कार्यालय में जमा करेंगे। जिसका मतलब होगा कि उन्हें उल्लिखित नियम एवं शर्तें मान्य है। फार्म-1 की दूसरी प्रति निविदाकर्ता अपने पास रखेंगे।
4. सभी निविदा बन्द लिफाफा में जमा किया जायेगा जिसके उपर **निविदा संख्या-01/2017-18 'सरसों फसलों की नीलामी हेतु निविदा'** लिखी होनी चाहिए। निविदा कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में अथवा पंजीकृत डाक (एडी सहिति) द्वारा भेजी जा सकती है। यह सुनिश्चित करते हुए की निविदा निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व इस कार्यालय को प्राप्त हो। डाक से भेजने पर कोई क्षति/देर के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. निवदा खुलना—निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय परिसर में उपस्थित हो सकते हैं।
6. भुगतान की विधि—निविदा खुलने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा उद्घृत/वर्णित राशि 50 प्रतिशत भुगतान नकद निविदा खुलने के दिन होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अगले कार्यदिवस में करना।
7. संस्थान द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से कम राशि प्राप्त होने का स्थिति में उसी समय समिति के समक्ष ही पुनः बन्द निविदा की प्रक्रिया भी की जा सकती है।
8. निविदा स्वीकार करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को उच्चतम शर्त के अनुरूप किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/रद्द करने का पूर्णतया अधिकार होगा। पूरी निविदा, के किसी भी भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
9. **मध्यस्तता**— किसी प्रकार के निविदा से संबंधित विवादों, मतभेदों के निराकरण हेतु राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, (बिहार) को प्रेषित किया जा सकता है। भा.कृ.अनु.प.—राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, (बिहार) का निर्णय किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा।
10. **सुरक्षा व्यवस्था**—सफल निविदाकर्ता को एकरारनामा के तुरन्त बाद सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चोरी, फसल की बर्बादी, प्राकृतिक विनाश अथवा किसी अप्रत्याशित कारण वश क्षति के लिए यह केन्द्र करनी होगी। चोरी, फसल की बर्बादी, प्राकृतिक विनाश अथवा किसी अप्रत्याशित कारण वश क्षति के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
11. प्रक्षेत्र प्रभारी की निगरानी में ठेकेदार को अपने श्रमिकों द्वारा सरसों के पौधों की कटाई करनी होगी। कटाई का कार्य प्रातः 08:00 से 04:30 बजे अपराह्न तक कार्य दिवसों में के प्रक्षेत्र प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।
12. इस केन्द्र द्वारा कार्य गुड़ाई, सिंचाई एवं जुताई आदि तथा कोई भी निर्माण किये जाने व अन्य कार्यों के कराये जाने पर ठेकेदार को कोई हस्तक्षेप/आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।
13. सरसों फसल की कटाई का कार्य लीची के पौधों को क्षति पहुँचाए बिना करना होगा।
14. ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस अवस्था में कटाई एवं खुदाई का कार्य रोका जा सकता है एवं प्रक्षेत्र निषेध के उपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी।
15. ठेका अवधि नीलामी की 100 प्रतिशत राशि जमा करने के साथ ही प्रारम्भ होगी एवं फसल की कटाई समाप्त होते ही समाप्त होगी।
16. सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र मुजफ्फरपुर में होगा
17. किसी भी विषय से संबंधित सर्वाधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.— राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, को सुरक्षित होगा।
18. ठेकेदार, सरसों फसलों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी/व्यक्ति प्रक्षेत्र के अन्दर रख सकेंगे जिसकी जानकारी केन्द्र को पहचान पत्रों के साथ पहले ही देनी होगी।
19. सरसों फसलों की कटाई के समय में किसी भी प्रकार से लीची के पौधों के शाखाओं एवं टहनियों की क्षति नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाये जाने पर ठेकेदार के सुरक्षित राशि में अंशतः या पूर्णतः जब्त कर लिया जायेगा।

प्रशासनिक अधिकारी
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर,

.....

फार्म संख्या-1 (निविदा दर पत्र)

1. ठेकेदार का नाम:
2. पत्राचार का पता:
3. दूरभाष संख्या
4. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 06.02.2018 को 11:00 बजे अपराह्न

प्रक्षेत्र	फल का विवरण	क्षेत्रफल	नीलामी की राशि (अंको में)	शब्दों में
मुशहरी, मुजफ्फरपुर,	सरसों पौधा	लगभग मुख्य फसल-2.1 हेक्टेयर और अन्तरवर्ती-5.7 हेक्टेयर		

ठेकेदार हस्ताक्षर:-

तिथि:-